

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 486]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 10, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2015

क्र. एफ.-ए 3-53-2015-1-पांच, (38).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 70-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिनियम में,—

(1) अनुसूची-एक में, अनुक्रमांक 66 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“66 क. नीमच स्टोन्स”.

(2) अनुसूची-दो में, भाग-दो में, अनुक्रमांक 59 के सामने, कॉलम (2) में शब्द “नीमच स्टोन्स” का लोप किया जाए.

(3) ये संशोधन दिनांक 1 दिसम्बर 2015 से प्रवृत्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-ए-3-53-2015-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए 3-53-2015-1-पांच (38), दिनांक 1 दिसम्बर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 1st December 2015

No. F-A-3-53-2015-1-V (38).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the said Act, namely :—

AMENDMENTS

In said Act,—

(1) in Schedule-I, after serial number 66 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

“66 A. Neemuch Stones”.

(2) in Schedule-II, in part-II against serial number 59, in column (2), the words “Neemuch stones” shall be omitted.

(3) This amendments shall come into force form 1st December 2015.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.